

2018/00/00

D

क्र. 105/18 डा. प्र  
दि. 8-5-18

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
फूलियाकला (भीलवाडा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।  
महोदयजी, ~~बनितार 317 के पास 138 L-RAE~~

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ~~सुवा~~ पिता ~~गोना~~  
जाति बैरवा निवासी ~~गोना~~ जिला भीलवाडा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम...  
~~के खता संख्या 368 में जाति चमार के बजाय बैरवा दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति~~  
बैरवा है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से  
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज  
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

8.5.18

प्रार्थी



रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री ~~सुवा~~ पिता ~~गोना~~ की ग्राम ~~के खता संख्या 368~~ में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी  
की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

~~सुवा~~  
पटवारी ~~के खता संख्या 368~~  
भू.अ.नि. ~~के खता संख्या 368~~  
वृत्त ~~8-5-18~~

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री ~~सुवा~~ पिता ~~गोना~~ की ग्राम ~~के खता संख्या 368~~ में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की  
जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

क्र. 105/18 डा. प्र

आदेश ~~के खता संख्या 368~~ दि. 8-5-18

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिवंशा के प्रार्थी श्री ~~सुवा~~ पिता ~~गोना~~ की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम ~~के खता संख्या 368~~ में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है।  
अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
फूलियाकला, जिला-भीलवाडा